डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

(1). **निदेशक,**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2). **समस्त विभागाध्यक्षगण,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(3). **विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(4). **डॉ0 संजीव गुप्ता,**
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(5). **श्री आशीष कुमार गुप्ता,**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक : 257/ पत्रा.सं0–568(द्वितीय) / डा.श.मि.रा.पु.वि. / वि0परि0 / 2021–22 दिनांक: 22 जून, 2021

विषयः– डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांकः 21 जून, 2021 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनाँकः 21 जून, 2021 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,
22/6/2021
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के विद्या परिषद की

19वीं बैठक दिनाँकः 21 जून, 2021 का कार्यवृत्त

समय –	पूर्वाह्नः 11:00 बजे
स्थान –	पंचम तल स्थित सभागार डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 19वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/19	**मा0 विद्या परिषद की 18वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांकः 06 मार्च, 2021 का कार्यवृत्त पत्रांकः 2739/पत्रा.सं0–568(द्वितीय)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./वि.परि./2020–21, दिनांकः 19 मार्च, 2021 द्वारा मा0 विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों को प्रेषित किया गया था, जिसकी पुष्टि की गई।
2/19	**मा0 विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2021 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/19	**मा0 विद्या परिषद के सदस्य प्रो0 अश्वनी कुमार दुबे एवं प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्र द्वारा विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 06 मार्च, 2021 के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या–6/18 के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार।**
	निर्णयः– मा0 विद्या परिषद के सदस्य प्रो0 अश्वनी कुमार दुबे के उपस्थिति में (प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्र व्यक्तिगत कारणों से अवकाश पर होने के कारण बैठक में अनुपस्थित रहे) प्रकरण पर चर्चा की गई। यद्यपि प्रो0 दुबे द्वारा अपने पत्र में यह उल्लिखित नहीं किया गया था कि उनकी आपत्ति मा0 विद्या परिषद की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–6/18 के अन्तर्गत अनुमोदित परीक्षा समिति के किस बिन्दु पर है, लेकिन चर्चा में मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि उनकी आपत्ति बिन्दु संख्या–6/18 अन्तर्गत परीक्षा समिति की अष्टम् बैठक के बिन्दु संख्या–11/8(4) के निर्णय पर है। प्रकरण पर समग्रता में चर्चा के उपरान्त मा0 विद्या परिषद द्वारा प्रो0 दुबे के प्रत्यावेदन को बलहीन पाते हुए पूर्व में लिए गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु निर्देशित किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

4/18 **विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021–22 में प्रवेश के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद को विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021–22 में प्रवेश के सम्बन्ध में अवगत कराया गया, जिसके उपरान्त सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय प्रदान किया–

1. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश JEE(Main) के माध्यम से ही किया जाय।
2. विशेष शिक्षा संकाय में संचालित डी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली (आर0सी0आई0) द्वारा AIOAT (Through AIOAT entrance examination conducted by RCI) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराया जाय।
3. बी0पी0ओ0 एवं बी0ए0एस0एल0पी0 पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से जाय।
4. शेष समस्त पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जाय।

5/19 **भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के निर्गत ज्ञाप संख्या–7–128/आर.सी.आई./2021, दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा Model Recruitment Rules for the Rehabilitation Professionals & Personnel under RCI से मा0 विद्या परिषद को संज्ञानित कराने एवं अग्रिम दिशा–निर्देश प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय में शिक्षकवृन्द की भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के निर्गत ज्ञाप संख्या–7–128/आर.सी.आई./2021, दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा Model Recruitment Rules for the Rehabilitation Professionals & Personnel under RCI भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के सामान्य परिषद की 43वीं बैठक में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में ज्ञाप संख्या–7–128/आर.सी.आई./2021, दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में संचालित पाठ्यक्रमों के नियम, 2021 अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 विद्या परिषद में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। तत्क्रम में शिक्षकवृन्द के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में मा0 विद्या परिषद द्वारा विशेष शिक्षा संकाय में भर्ती किये जाने सम्बन्धी नियमन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 वी0के0 सिंह, अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा संकाय की अध्यक्षता में डॉ0 शेफाली यादव, अधिष्ठाता, विधि संकाय व डॉ0 रजनी रंजन सिंह, अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण को सदस्य के रूप में नामित करते हुए समिति का गठन किया गया। उपरोक्त गठित समिति परीक्षण करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

6/19 **विद्यार्थियों के अगली कक्षाओं में प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद द्वारा विद्यार्थियों के अगली कक्षाओं में प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों से अवगत कराया गयाः–

1. प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा (2020–21) के क्रम में विश्वविद्यालय मे संचालित समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं (थ्योरी एवं आन्तरिक के अंकों को अलग–अलग करते हुए) के परीक्षा परिणाम, प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर परीक्षा परिणाम निर्धारित/घोषित किया जायेगा।

   यदि कोई विद्यार्थी बैक पेपर के लिये अर्ह है तो उसे आगामी सत्र/अधिसत्र में प्रोन्नत किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी बैक पेपर के लिये अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, तो उसे अनुत्तीर्ण मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।
2. इसी प्रकार विश्वविद्यालय में संचालित समस्त संकायों के चतुर्थ/छठे/आठवें सेमेस्टर की परीक्षाओं (लिखित एवं आन्तरिक के अंकों को पृथक रूप से) के परीक्षा परिणाम, उनके कमशः

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	विगत् / पूर्व सेमेस्टरों में प्राप्तांक–अंक प्रतिशत वाले सेमेस्टर को आधार मानकर अंकों का निर्धारण करते हुए परीक्षा–परिणाम घोषित किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया के अनुपालन में यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा कि यदि आन्तरिक परीक्षा के किन्ही सेमेस्टरों के प्रश्न–पत्रों की सख्या में परिवर्तन (घटा / बढ़ा) हुआ हो तो उनके औसत प्राप्तांको को आवश्यकतानुसार ही अंको का आवंटन किया जायेगा ताकि उनके प्राप्तांक प्रतिशत अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। यदि कोई विद्यार्थी बैक पेपर के लिये अर्ह है तो उसे आगामी सत्र / अधिसत्र में प्रोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। यदि कोई विद्यार्थी बैक पेपर के लिये अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है तो उसे अनुत्तीर्ण मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। 3. प्रोन्नति सम्बन्धी उपरोक्तानुसार प्रस्तावित नियम कोविड–19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत मात्र वर्ष 2021 (सत्र–2020–21) के लिये लागू किया जाना है। उपर्युक्त बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय प्रदान किया गया कि राज्य सरकार अथवा उच्च सक्षम निकायों से कोई निर्णय विद्यार्थियों के प्रोन्नति के सन्दर्भ में प्रदान किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कुलपति, विश्वविद्यालय को उपरोक्तानुसार संगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।
7/19	**विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याताओं एवं संविदा शिक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याताओं एवं संविदा शिक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, 2021 में कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के कारण पठन–पाठन सम्बन्धी कार्यो में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याताओ से पठन–पाठन का कार्य वर्तमान में माह जून, 2021 में भी लिया जा रहा है। कोविड–19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित न हो इस हेतु दिनांक–30 मई, 2021 तक सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक–31 जुलाई, 2021 तक सूचीबद्ध किये जाने हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक–107/2021–22 दिनांक–31 मई, 2021 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अतिथि व्याख्याताओं एवं संविदा शिक्षकों पर विस्तारित की गई अवधि एवं उस पर मानदेय के रूप में होने वाले व्यय भार पर मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/19	**विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली अन्तिम सेमेस्टर / वर्ष की परीक्षा कराने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली अन्तिम सेमेस्टर / वर्ष की परीक्षा कराने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए कोविड–19 वैश्विक महामारी के संकट के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत पूर्व की भाँति विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की शैक्षिक सत्र–2020–21 अन्तिम अधिसत्र / वर्ष परीक्षाओं को परास्नातक स्तरीय परीक्षा को विभागीय स्तर पर एवं स्नातक / डिप्लोमा / वार्षिक स्तरीय परीक्षाओं परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित कराये जाने पर सम्यक विचार–विमर्श करते हुए यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया, उक्त के अतिरिक्त बी0पी0ओ0 प्रथम वर्ष के अध्ययनरत् अभ्यर्थियों के प्रथम वर्ष की परीक्षा 2021 को भी अन्तिम अधिसत्र / वर्ष की परीक्षा के साथ–साथ कराये जाने पर सहमति प्रदान की गई।
9/19	**विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली अन्तिम सेमेस्टर / वर्ष की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के साथ–साथ उपाधि हेतु वांछित प्रपत्र / शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।**

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० राणा के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली अन्तिम सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के साथ–साथ उपाधि हेतु वांछित प्रपत्र/शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में शैक्षणिक सत्र–2020–21 में आयोजित होने वाली अन्तिम (फाइनल सेमेस्टर) अधिसत्र/वर्ष की परीक्षा में विद्यार्थियों से ऑन लाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाने तथा अन्तिम अधिसत्र के विद्यार्थियों से ऑन लाइन आवेदन के साथ–साथ उपाधि हेतु वांछित प्रपत्र/शुल्क को जमा कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/19	**विश्वविद्यालय में शाखा बोर्ड के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद विश्वविद्यालय में शाखा बोर्ड के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों से अवगत हुयी, निम्नवत् हैः– आहूत बैठक में समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 में अध्याय–सात में विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी के अन्तर्गत अध्ययन की शाखाएं और विभाग के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था है– 7.01 विश्वविद्यालय की अध्ययन की ऐसी शाखएं होंगी जैसी राज्य सरकार के आदेश संख्या– 2893/ 65–2–2008–57(विविध)–2008 विकलांग कल्याण अनुभाग–2, दिनांक–30 दिसम्बर, 2008 में वर्णित है और इस परिनियमावली के अनुलग्नक–क में अन्तर्विष्ट हैं। अध्ययन की शाखाओं में अग्रेतर वृद्धि राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन राज्य सरकार या कार्य परिषद् द्वारा की जा सकेगी। 7.02 प्रत्येक शाखा का एक शाखा बोर्ड होगा और पहले शाखा बोर्ड के सदस्यों को कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और वे तीन वर्ष के लिए पर धारण करेंगे। 7.03 शाखा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किये जायेंगे। 7.04 किसी शाखा बोर्ड की बैठकों का संचालन और ऐसी बैठकों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति विद्या परिषद् द्वारा अवधारित की जायेगी। 7.05 प्रत्येक शाखा बोर्ड में ऐसे विभाग होंगे जैसे विद्या परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किये जाए। परन्तु यह कि कार्य परिषद्, विद्यापरिषद् की संस्तुति पर अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर सकती है विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक उन्हें समनुदेशित किये जा सकते हैं जिन्हें कार्य परिषद् आवश्यक समझे। (एक) शाखा संकायाध्यक्ष ; (दो) विभाग से सम्बद्ध मानद आचार्य, यदि कोई हो ; (तीन) विभाग के अध्यापक ; (चार) विभाग में शोध कर रहे व्यक्ति, और (पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अधिनियम या परिनियमावली के अनुसार विभाग के सदस्य हो सकते हैं। विश्वविद्यालय की परिनियमावली, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार शाखा बोर्ड की शक्तियां एवं कृत्य आदि अवधारित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। तत्क्रम में मा0 विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त शाखा बोर्ड के गठन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए शाखा बोर्ड की शक्तियां आदि के लिए 03 वरिष्ठ आचार्यों की एक समिति बनाए जाने का निर्णय लिया गया, उक्त समिति के गठन हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।
11/19	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।**

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.बी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(1) **विश्वविद्यालय में पठन–पाठन हेतु विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने एवं सेवा शर्तें आदि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नागेन्द्र यादव, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय द्वारा प्रस्ताव के संबंध में।**

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में पठन–पाठन को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों, पैरा मेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याताओं एवं संविदा के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने एवं सेवा शर्तें आदि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। आहूत बैठक में सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में निम्नवत् निर्णय प्रदान किए गएः–

1. विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था लागू नहीं है और न ही इस तरह के कोई पद सृजित हैं। अतः पूर्व से अतिथि व्याख्याताओं को सूचीबद्ध कर सेवाएं प्राप्त किये जाने की जो व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का औचित्य नहीं पाया गया, परन्तु विश्वविद्यालय में संचालित पैरा–मेडिकल पाठयक्रम यथा–बी0पी0ओ0 व बी0ए0एस0एल0पी0 में एक भी नियमित फैकल्टी न होने के कारण पठन–पाठन की गुणवत्ता बनाये रखने के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए अथवा बी0पी0ओ0 व बी0ए0एस0एल0पी0 में शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती होने, जो भी पहले हो, तक के लिए अनुबन्ध के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं समिति द्वारा संस्तुत रू0 35,000/– प्रतिमाह की दर से किये जाने की सहमति प्रदान की गई।
2. स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों (अभियांत्रिकी एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम) में अतिथि व्याख्याताओं एवं संविदा के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया–

(क). स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों (अभियांत्रिकी एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम) में अतिथि व्याख्याताओं एवं संविदा के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं लिए जाने हेतु पदों का सृजन/अनुमति होने की स्थिति में ही सेवाएं ली जायेंगी।

(ख). स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की विगत 03 वर्ष के आय–व्यय का परीक्षण किया जायेगा। जिस स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में आय के स्रोत संतोषजनक/अतिरेक(Surplus) होगा, उसी पाठ्यक्रम में संविदा शिक्षक की नियुक्ति की सेवाएं वेतनमान के अन्तर्गत नियमानुसार ली जायेंगी।

(ग). संविदा शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के उपरान्त प्रत्येक वर्ष उनके शैक्षणिक निष्पादन (जो निर्धारित मानकों, तथ्यों एवं आंकड़ो पर आधारित होगा) के मूल्यांकन के आधार पर संविदा अवधि के प्रत्येक वर्ष के सेवा विस्तार हेतु अनिवार्य होगा।

(2) **स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2019 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः–मा0 विद्या परिषद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में शैक्षिक सत्र–2016–17 से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम से निरन्तर संचालित है। एम0बी0बी0एस0 परीक्षा हेतु मूल्यांकन, परीक्षाफल, अंक–पत्र, इन्टर्नशिप आदि के सम्बन्ध में भारतीय आर्युविज्ञान परिषद के अधिक्रमण (Super-session) में शासी बोर्ड संशोधन अधिसूचना दिनाँक 04 नवम्बर, 2019 के द्वारा निर्गत स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2019 को अंगीकृत किये जाने पर मा0 विद्या परिषद द्वारा वित्तीय सन्दर्भों को छोड़कर मात्र शैक्षिक सन्दर्भों हेतु संगत अंश के क्रियान्वयन हेतु सहमति दी गई।

किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

कुलपति